Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
(A National Multidisciplinary bi-lingual Quarterly Double Blind Open Access Peer Reviewed Refereed Journal)
ISSN : 2231–167X (Print), Impact Factor: (Cosmos: 7.866 & I2OR: 5.675) Volume 16, No. 02, April-June, 2026, pp. 202-210

राजस्थान राज्य की प्राप्तियों एवं व्ययों का विश्लेषणात्मक अध्ययनः (वर्ष 2013–14 से 2023–24)

Murli Dhar Meena[1*] & Prof. (Dr.) Prakash Sharma[2]

[1]Research Scholar, Department of ABST, University of Rajasthan, Jaipur & Assistant Professor, ABST, Shri Govind Guru Government College, Banswara, Rajasthan, India.
[2]Research Supervisor & Former Head, Department of ABST, University of Rajasthan, Jaipur, Rajasthan, India.

[*]Corresponding Author: murli.meena02@gmail.com

Citation: *Meena, M. & Sharma, P. (2026). राजस्थान राज्य की प्राप्तियों एवं व्ययों का विश्लेषणात्मक अध्ययनः (वर्ष 2013–14 से 2023–24). Journal of Modern Management & Entrepreneurship, 16(02), 202–210.*

सार

प्रस्तुत शोध–पत्र में वर्ष 2013–14 से 2023–24 तक राजस्थान राज्य की प्राप्तियों एवं व्ययों की संरचना, प्रवृत्तियों और उनमें हुए परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिन्हें राजस्थान सरकार के वित्त लेखों, बजट दस्तावेजों तथा महालेखाकार द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनों से प्राप्त किया गया है। इसमें राज्य की कुल प्राप्तियों को राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों तथा कुल व्ययों को राजस्व एवं पूँजीगत व्ययों में विभाजित कर उनका तुलनात्मक एवं प्रवृत्तिगत विश्लेषण किया गया है। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेत्तर राजस्व तथा केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदानों का अध्ययन किया गया है। इसी प्रकार, पूँजीगत प्राप्तियों में ऋण, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली तथा अन्य दायित्वों को शामिल किया गया है। व्यय पक्ष में प्रशासनिक एवं सामाजिक सेवाओं पर होने वाले राजस्व व्यय तथा परिसंपत्ति और आधारभूत संरचना के निर्माण से संबंधित पूँजीगत व्यय का परीक्षण किया गया है। अध्ययन के माध्यम से राज्य की संसाधन जुटाने की क्षमता, केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता, व्यय की प्राथमिकताओं, राजस्व–व्यय संतुलन तथा राजकोषीय प्रबंधन की स्थिति का आकलन करने का प्रयास किया गया है।

शब्दकोशः *बजट, राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय, राजकोषीय प्रबंधन।*

प्रस्तावना

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। विशाल भौगोलिक क्षेत्र, मरुस्थलीय परिस्थितियों, सीमित जल संसाधनों तथा क्षेत्रीय असमानताओं के कारण राज्य सरकार को आधारभूत संरचना, पेयजल, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर पर्याप्त व्यय करना पड़ता है। दूसरी ओर, कृषि, खनन, पर्यटन, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र राज्य की आय और आर्थिक विकास के प्रमुख आधार हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है।

राज्य की वित्तीय स्थिति और विकास की दिशा को समझने के लिए उसकी प्राप्तियों एवं व्ययों का विश्लेषण महत्त्वपूर्ण है। राज्य की प्राप्तियों को राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों में विभाजित किया जाता है। राजस्व

[*] *Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व तथा केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल होते हैं, जबकि पूँजीगत प्राप्तियों में ऋण, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली तथा अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित होती हैं। इसी प्रकार, राजस्व व्यय नियमित सेवाओं, ब्याज भुगतान और अनुदानों से संबंधित होता है, जबकि पूँजीगत व्यय परिसंपत्तियों एवं आधारभूत संरचना के निर्माण पर किया जाता है। प्रस्तुत शोध–पत्र में वर्ष 2013–14 से 2023–24 तक राजस्थान राज्य की प्राप्तियों एवं व्ययों की संरचना और प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है। इसके माध्यम से राज्य की संसाधन जुटाने की क्षमता, व्यय संबंधी प्राथमिकताओं, वित्तीय संतुलन तथा राजकोषीय प्रबंधन की स्थिति का आकलन करने का प्रयास किया गया है।

राज्य के लेखो का ढांचा

राज्य के लेखे तीन भागो में संधारित किये जाते हैं जो की निम्न प्रकार है – (i) राज्य की संचित निधि, (ii) राज्य की आकस्मिकता निधि और (iii) राज्य की लोक लेखा ।

- राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of the State)– राज्य की संचित निधि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 266(1) में किया गया है। इसमें राज्य सरकार को प्राप्त समस्त राजस्व, सरकार द्वारा लिए गए ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों की वसूली से प्राप्त धनराशि शामिल होती है। सरकार का अधिकांश व्यय इसी निधि से किया जाता है और इसमें से धनराशि केवल संविधान एवं कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही निकाली जा सकती है। संचित निधि से होने वाला व्यय दो प्रकार का होता हैकृभारित व्यय एवं दत्तमत व्यय। भारित व्यय विधानमंडल के मतदान के अधीन नहीं होता, जबकि दत्तमत व्यय के लिए विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक होती है।
- राज्य की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund of the State)– आकस्मिकता निधि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 267(2) में किया गया है। यह निधि राज्यपाल के नियंत्रण में रहती है तथा इसका उपयोग विधानमंडल की स्वीकृति मिलने से पूर्व तत्काल एवं अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए किया जाता है। ऐसे व्यय के लिए बाद में विधानमंडल की स्वीकृति प्राप्त की जाती है और संचित निधि से समान राशि आकस्मिकता निधि में वापस जमा कर दी जाती है।
- राज्य का लोक लेखा (Public Account of the State)– राज्य के लोक लेखे का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 266(2) में किया गया है। इसमें वह धनराशि जमा की जाती है, जिसे सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में प्राप्त करती है। इसमें लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियाँ, जमा एवं अग्रिम, उचंत, प्रेषण और रोकड़ शेष आदि शामिल होते हैं। यह धन सरकार का अपना नहीं होता, बल्कि संबंधित व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को वापस भुगतान किया जाना होता है। इसलिए लोक लेखे से भुगतान के लिए विधानमंडल के मतदान की आवश्यकता नहीं होती।

राज्य की प्राप्तियाँ एवं व्यय

राज्य सरकार के वित्त लेखो में विवरण संख्या– 1 में राज्य की वित्तीय स्थिति तथा विवरण संख्या– 2 सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण प्रदर्शित किया जाता है। विवरण संख्या– 2 में राज्य के लेखों की प्राप्तियों एवं वितरणों को तीन भागों समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे अंतर्गत विभाजित करके अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है। समेकित निधि अंतर्गत होने वाली प्राप्तियों एवं व्ययों को राजस्व एवं पूंजी दो अनुभागों में विभाजित करके प्रस्तुत किया जाता है। लेखे एक नजर में, महालेखाकार (लेखे एवं हकदारी), राजस्थान सरकार अनुसार आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे का निवल राज्य के वित्त लेखो में पूंजीगत प्राप्तियाँ अंतर्गत दिखाया जाता है।

चित्र–1 : प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण

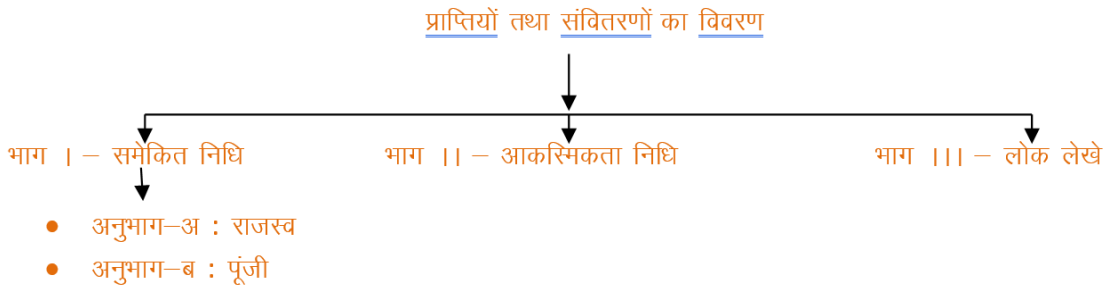

स्त्रोत–, वित्त लेखे, राजस्थान सरकार

अध्ययन के उद्देश्य एवं शोध कार्यप्रणाली

उपरोक्त अध्ययन का उद्देश्य राज्य के आर्थिक वातावरण के वर्तमान परिद्रश्य एवं आर्थिक विकास के मुख्य सूचकों का अध्ययन करना है। राज्य के विभिन्न वर्षो के आय–व्यय एवं राजकोषीय स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन कर सुझाव प्रदान करना है। वर्तमान शोध अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेष्णात्मक प्रकृति का हैं। शोधकर्ता ने द्वितीयक डेटा विश्लेषण पद्धति का उपयोग किया हैं इसमें भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार की वार्षिक बजट रिपोर्ट, आर्थिक समीक्षा, सरकारी दस्तावेज एवं अन्य विभिन्न प्रतिष्ठित स्त्रोतों से डेटा का संग्रहण करना एवं उनका विश्लेषण करना सम्मिलित है। प्रस्तुत शोध "राजस्थान राज्य की वित्तीय स्थिति का विश्लेष्णात्मक अध्ययन" में राजस्व, बजट एवं राजकोषीय आधिक्य–घाटा तथा इनके विभिन्न घटकों का वर्ष 2013–14 से 2023–24 (पांच वर्ष) के मध्य विश्लेष्णात्मक अध्ययन एवं प्रवत्ति विश्लेषण किया गया है।

साहित्य की समीक्षा

हाँ, जे.डी., और स्टर्म, जे. ई. (1997) ने वर्ष 1982 से 1992 के दौरान 21 ओ ई सी डी देशों में सरकारी ऋण और सार्वजनिक व्यय के निर्धारक कारकों का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि बजट घाटे और व्यय वृद्धि पर राजनीतिक शक्ति–वितरण का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। सरकारी ऋण एवं व्यय में परिवर्तन मुख्यतः बेरोजगारी, ऋण–सेवा लागत और व्यावसायिक चक्र जैसे आर्थिक कारकों से प्रभावित हुए। बेहतर आँकड़ों और वैकल्पिक विश्लेषण विधियों के प्रयोग के बाद राजनीतिक संरचना का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया। अध्ययन में भविष्य के शोध हेतु व्यापक आर्थिक कारकों और देश–विशिष्ट नीतियों का गहन विश्लेषण करने का सुझाव दिया गया।

पॉस्नर एट अल. (2009) ने अध्ययन में सार्वजनिक बजट प्रबंधन के संस्थागत, प्रक्रियागत और जवाबदेही संबंधी पहलुओं का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन किया। अध्ययन में बजट को केवल वित्तीय दस्तावेज न मानकर शासन की प्राथमिकताओं, संस्थागत क्षमता और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का प्रमुख साधन बताया गया। ब्राजील के संदर्भ में अत्यधिक संशोधन, अवास्तविक राजस्व अनुमान और राजनीतिक दबाव को बजट की विश्वसनीयता एवं व्यय की गुणवत्ता के लिए हानिकारक माना गया। अध्ययन में संसद की भूमिका को बजट अनुमोदन तक सीमित न रखकर निगरानी, मूल्यांकन और प्रदर्शन–आधारित जवाबदेही तक बढ़ाने पर बल दिया गया। साथ ही, सार्वजनिक–निजी भागीदारी परियोजनाओं को बजट में पारदर्शी रूप से शामिल करने तथा प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के लिए संस्थागत समन्वय को आवश्यक बताया गया।

योगेन्द्रराजाह, आर. (2011) ने जाफना नगरपालिका परिषद में वित्तीय एवं बजटीय नियंत्रण के संगठनात्मक प्रदर्शन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि प्रभावी वित्तीय और बजटीय नियंत्रण से संगठनात्मक प्रदर्शन बेहतर होता है, जबकि कमजोर नियंत्रण से प्रदर्शन प्रभावित होता है।

अतः सार्वजनिक संगठनों को अपनी गतिविधियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए वित्तीय एवं बजटीय नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

दासगुप्ता, एम. (2013) ने अपने शोध में सरकारी व्यय की प्रकृति, प्रवृत्तियों तथा आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव का व्यापक अध्ययन किया। दीर्घकालीन आँकड़ों के विश्लेषण से सरकारी व्यय में निरंतर वृद्धि पाई गई, लेकिन इसके विभिन्न घटकों की वृद्धि दर में अंतर रहा। अध्ययन में राजस्व व्यय का हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक पाया गया, जबकि पूँजीगत व्यय में उतार–चढ़ाव की स्थिति बनी रही। शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना जैसे विकासात्मक क्षेत्रों पर किया गया सार्वजनिक व्यय आर्थिक विकास के लिए लाभकारी पाया गया। शोध में वित्तीय अनुशासन, व्यय नियंत्रण तथा उपलब्ध संसाधनों के कुशल उपयोग पर विशेष बल दिया गया।

राव, एम. जी. (2017) ने अपनी पुस्तक में भारतीय राज्यों की वित्तीय स्थिति, राजकोषीय प्रबंधन, वित्तीय संघवाद तथा केंद्र–राज्य वित्तीय संबंधों का विस्तृत विश्लेषण किया। अध्ययन में राज्यों की आय–व्यय संरचना, कर एवं गैर–कर राजस्व, सार्वजनिक ऋण, राजकोषीय घाटे और वित्तीय उत्तरदायित्व के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया। लेखक के अनुसार राज्यों की वित्तीय सुदृढ़ता राजस्व संग्रह के साथ–साथ संसाधनों के कुशल उपयोग, प्रभावी व्यय और वित्तीय अनुशासन पर निर्भर करती है। पुस्तक में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के उचित वितरण तथा वित्त आयोग, केंद्रीय सहायता और अनुदानों की भूमिका को महत्त्वपूर्ण बताया गया। लेखक ने राजकोषीय घाटे एवं सार्वजनिक ऋण को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास के लिए उत्पादक एवं पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता देने पर बल दिया।

खंडेलवाल, एन. एम. (2020) ने अपनी पुस्तक वित्तीय प्रबंधन में वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा, उद्देश्यों, सिद्धांतों और व्यावहारिक पक्षों का विस्तृत अध्ययन किया। लेखक ने वित्तीय प्रबंधन को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के नियोजन, आवंटन, निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया बताया है। पुस्तक में वित्तीय नियोजन, पूँजी संरचना, निवेश प्रबंधन, बजट निर्माण तथा वित्तीय नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की गई है। लेखक के अनुसार प्रभावी बजट प्रणाली आय–व्यय पर नियंत्रण, वित्तीय जोखिमों को कम करने तथा संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। पुस्तक में वित्तीय प्रबंधन की गुणवत्ता सुधारने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही, वित्तीय अनुशासन और नियमित मूल्यांकन पर विशेष बल दिया गया है।

दार्शनि, एस.जे., और गायत्रि, के. (2021) ने अपने शोध अध्ययन में 14 बड़े भारतीय राज्यों में वर्ष 1981–82 से 2014–15 तक केंद्र से प्राप्त वित्तीय हस्तांतरण और राज्यों की वित्तीय निर्भरता का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि समय के साथ वित्तीय हस्तांतरण बढ़ने के साथ–साथ राज्यों की केंद्र पर निर्भरता भी बढ़ी है। आर्थिक उदारीकरण के बाद राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में सुधार हुआ, लेकिन केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत धनराशि सीधे राज्य की क्रियान्वयन एजेंसियों को देने से बजट पारदर्शिता प्रभावित हुई। शोध के अनुसार राज्यों को मिलने वाले वैधानिक एवं विवेकाधीन हस्तांतरण आर्थिक कारकों के साथ–साथ राजनीतिक और संस्थागत कारकों से भी प्रभावित होते हैं। अध्ययन में राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता और बजट प्रबंधन को समझने के लिए आर्थिक संकेतकों के साथ राजनीतिक एवं संस्थागत कारकों के विश्लेषण को भी आवश्यक बताया गया।

कार्ली, एफ., और मोडेस्तो, एल. (2022) ने अपने अध्ययन में सरकारी ऋण, राजकोषीय नीति और व्यापक आर्थिक अस्थिरता के आपसी संबंधों का अध्ययन किया। अध्ययन एक छोटे खुले अर्थतंत्र पर आधारित है, जिसमें सरकार पुनर्निर्वाचन के उद्देश्य से सार्वजनिक व्यय बढ़ाने का प्रयास करती है। शोध में पाया गया कि ऋण संबंधी अपेक्षाएँ अर्थव्यवस्था में उतार–चढ़ाव और अस्थिरता उत्पन्न कर सकती हैं। कर–दर संबंधी नियमों को आर्थिक स्थिरता के लिए महत्त्वपूर्ण माना गया तथा अत्यधिक चक्रीय कर–नीति से स्थानीय एवं वैश्विक

अस्थिरता उत्पन्न होने की संभावना बताई गई। इसके विपरीत, संतुलित कर–नीति अर्थव्यवस्था को उच्च उत्पादन वाले स्थिर संतुलन की ओर ले जाने में सहायक होती है।

शमिका, आर. और कपूर, एम. (2023) ने अपने अध्ययन में अध्ययन में राज्य बजट को आर्थिक प्राथमिकताओं, विकास, प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक कल्याण के बीच संसाधन समायोजन का प्रमुख माध्यम बताया गया। वर्ष 1990 से 2020 के विश्लेषण में गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों में प्रति व्यक्ति राजस्व तथा स्वयं के करों का योगदान अधिक पाया गया। इसके विपरीत, कम विकसित एवं पूर्वोत्तर राज्यों की केंद्रीय कर हस्तांतरण और अनुदानों पर निर्भरता अधिक रही। अध्ययन के अनुसार अधिक पूँजीगत व्यय, स्वयं का पर्याप्त राजस्व और प्रशासनिक दक्षता राज्यों के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। भविष्य की वित्तीय स्थिरता के लिए प्रभावी ऋण एवं पेंशन प्रबंधन और राज्यों के बीच सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करना आवश्यक बताया गया।

सेलेस्टिन, एम., और मिश्रा, ए.के. (2025) ने अपने अध्ययन में निष्पादन–आधारित बजट को राजकोषीय उत्तरदायित्व और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रभावी साधन बताया। अध्ययन में वर्ष 2020 से 2024 के बीच इसके प्रयोग से राजकोषीय उत्तरदायित्व, सार्वजनिक संतोष, बजट दक्षता और परिणाम–प्राप्ति दर में सुधार पाया गया। इससे संसाधनों का रणनीतिक उपयोग बढ़ा तथा अनावश्यक व्यय में कमी आने से वार्षिक बचत हुई। हालांकि, राजनीतिक हस्तक्षेप, नौकरशाही प्रतिरोध और प्रदर्शन संकेतकों के निर्धारण की कठिनाइयों को इसकी प्रमुख सीमाएँ बताया गया। शोध में प्रभावी डेटा–आधारित निगरानी, डिजिटल ऑडिट और संस्थागत पारदर्शिता के माध्यम से इस बजट प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया गया।

राज्य की प्राप्तियाँ

- **राजस्व प्राप्तियाँ:** राज्य के वित्त लेखों में राजस्व प्राप्तियों को विवरण संख्या 2 के भाग–। में संचित निधि के राजस्व अनुभाग के प्राप्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। इनमें कर राजस्व, करेत्तर राजस्व तथा केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल होते हैं। कर राजस्व में राज्य द्वारा लगाए गए करों तथा केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा सम्मिलित होता है। करेत्तर राजस्व में ब्याज, लाभांश, लाभ तथा सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से प्राप्त आय शामिल होती है।
- **पूंजीगत प्राप्तियाँ:** राज्य के वित्त लेखों में पूँजीगत प्राप्तियों को विवरण संख्या 2 के भाग–। में संचित निधि के पूँजी अनुभाग में दर्शाया जाता है। इनमें आंतरिक स्रोतों एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण, विनिवेश से प्राप्त राशि, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली तथा अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल होती हैं। इन्हें विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली तथा उधार एवं अन्य दायित्वों में वर्गीकृत किया जाता है।

राज्य के व्यय

- **राजस्व व्यय –** राजस्व व्यय वर्तमान सेवाओं को बनाए रखने और पूर्व दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इससे किसी भौतिक या वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता। इसमें सरकारी विभागों एवं सेवाओं के संचालन, ऋणों पर ब्याज भुगतान, अनुदान, सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं से संबंधित व्यय शामिल होते हैं। वित्त लेखों में इसे विवरण संख्या 2 के भाग–। में संचित निधि के राजस्व अनुभाग के संवितरण पक्ष में दर्शाया जाता है।
- **पूंजीगत व्यय** – पूँजीगत व्यय स्थायी परिसंपत्तियों और आधारभूत संरचना के निर्माण पर किया जाता है। इसमें भूमि, भवन, मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद, सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश तथा विभिन्न संस्थाओं को दिए गए ऋण एवं अग्रिम शामिल होते हैं। वित्त लेखों में इसे विवरण संख्या 2 के भाग–। में संचित निधि के पूँजी अनुभाग के संवितरण पक्ष में दर्शाया जाता है। इसमें पूँजीगत व्यय तथा ऋण

एवं अग्रिमों के वितरण को शामिल किया जाता है, जबकि लोक ऋण के पुनर्भुगतान को पूँजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण के निवल मूल्य में दर्शाया जाता है।

राज्य के कुल प्राप्तियाँ एवं कुल व्यय

राज्य सरकार के वित्त लेखो में विवरण संख्या– 2 में सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाया जाता है। विवरण संख्या– 2 में राज्य के लेखों की प्राप्तियों एवं वितरणों को तीन भागों समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे अंतर्गत विभाजित करके अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है। महालेखाकार द्वारा प्रस्तुत लेखे एक नजर में अनुसार इन्हें प्राप्तियाँ एवं व्ययों में विभाजित करके प्रदर्शित किया जाता है। तालिका 1 में 2013–14 से 2023–24 के दौरान राज्य की कुल प्राप्तियाँ एवं कुल व्यय को दर्शाया गया है।

तालिका 1: 2013–14 से 2023–24 के दौरान राज्य की कुल प्राप्तियाँ एवं कुल व्यय

(₹ करोड़)

वर्ष	प्राप्तियाँ			व्यय			
	राजस्व प्राप्तियाँ	पूंजीगत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	कर्जे तथा अग्रिम	कुल व्यय
2013–14	74,471	15,515	89,986	75,510	13,664	812	89,986
2014–15	91,327	20,019	1,11,346	94,542	16,103	701	1,11,346
2015–16	100,285	64,542	1,64,827	1,06,239	21,986	36,602	1,64,827
2016–17	1,09,026	48,059	1,57,085	1,27,140	16,980	12,965	1,57,085
2017–18	1,27,307	40,492	1,67,799	1,45,842	20,623	1,334	1,67,799
2018–19	1,37,873	49,651	1,87,524	1,66,773	19,638	1,113	1,87,524
2019–20	1,40,114	53,344	1,93,458	1,76,485	14,718	2,255	1,93,458
2020–21	1,34,308	59,763	1,94,071	1,78,309	15,271	491	1,94,071
2021–22	1,83,920	50,643	2,34,563	2,09,790	24,152	621	2,34,563
2022–23	1,94,988	51,464	2,46,452	2,26,479	19,798	175	2,46,452
2023–24	2,03,276	65,999	2,69,275	2,42,231	26,646	398	2,69,275

स्त्रोत– शोधार्थी द्वारा वित्त लेखे (खंड I), राजस्थान सरकार, जयपुर वर्ष 2013–14 से 2023–24 से संकलित

राज्य की कुल प्राप्तियों एवं व्ययों का विश्लेषण

तालिका के अनुसार वर्ष 2013–14 से 2023–24 के दौरान राजस्थान राज्य की कुल प्राप्तियों एवं कुल व्ययों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्ष 2013–14 में कुल प्राप्तियाँ एवं कुल व्यय ₹89,986 करोड़ थे, जो वर्ष 2023–24 में बढ़कर ₹2,69,275 करोड़ हो गए। इस प्रकार अध्ययन अवधि में इनमें ₹1,79,289 करोड़ अर्थात 199.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इनकी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर लगभग 11.58 प्रतिशत रही। लेखांकन संरचना के कारण प्रत्येक वर्ष कुल प्राप्तियाँ और कुल व्यय समान रहे हैं।

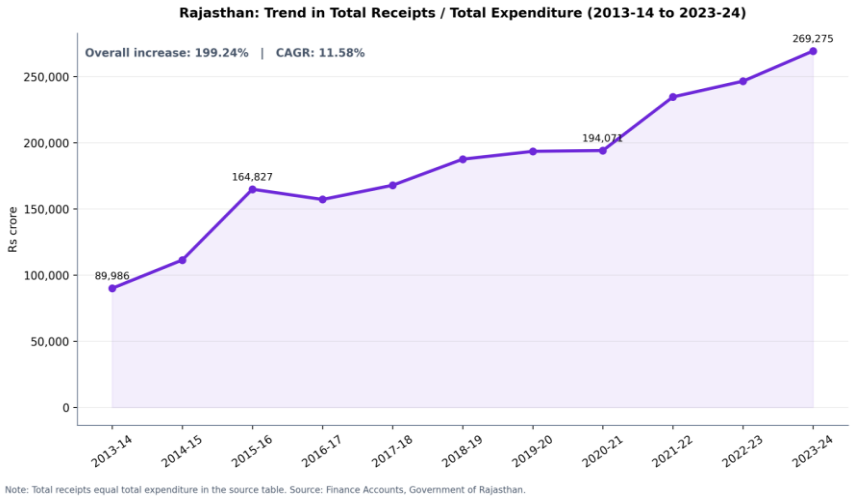

Note: Total receipts equal total expenditure in the source table. Source: Finance Accounts, Government of Rajasthan.

राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय का विश्लेषण

राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2013–14 में ₹74,471 करोड़ थीं, जो वर्ष 2023–24 में बढ़कर ₹2,03,276 करोड़ हो गईं। इनमें 172.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर 10.56 प्रतिशत रही। इसके विपरीत, राजस्व व्यय ₹75,510 करोड़ से बढ़कर ₹2,42,231 करोड़ हो गया, जिसमें 220.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय की वार्षिक वृद्धि दर 12.36 प्रतिशत रही, जो राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर से अधिक है। अध्ययन अवधि के सभी वर्षों में राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों से अधिक रहा। दोनों के बीच अंतर वर्ष 2013–14 में ₹1,039 करोड़ था, जो वर्ष 2023–24 में बढ़कर ₹38,955 करोड़ हो गया। वर्ष 2020–21 में राजस्व प्राप्तियों में 4.14 प्रतिशत की कमी आई, जबकि राजस्व व्यय में वृद्धि जारी रही। परिणामस्वरूप इस वर्ष राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय के बीच सर्वाधिक ₹44,001 करोड़ का अंतर दर्ज किया गया। वर्ष 2021–22 में राजस्व प्राप्तियों में 36.94 प्रतिशत की वृद्धि से स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन बाद के वर्षों में अंतर पुनः बढ़ा। यह प्रवृत्ति राज्य के बढ़ते राजस्व व्यय और राजकोषीय दबाव को दर्शाती है।

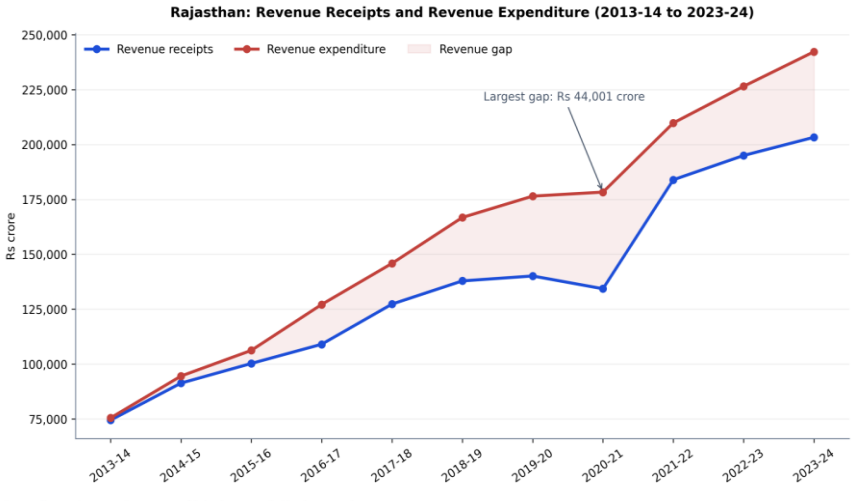

Source: Finance Accounts, Government of Rajasthan; compiled by the researcher.

पूँजीगत प्राप्तियों एवं पूँजीगत व्यय का विश्लेषण

पूँजीगत प्राप्तियाँ वर्ष 2013–14 में ₹15,515 करोड़ थीं, जो वर्ष 2023–24 में बढ़कर ₹65,999 करोड़ हो गईं। इनमें 325.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर 15.58 प्रतिशत रही। हालांकि, पूँजीगत प्राप्तियों में वर्ष–दर–वर्ष काफी उतार–चढ़ाव दिखाई दिया। वर्ष 2015–16 में ये अचानक बढ़कर ₹64,542 करोड़ हो गईं, जिसका प्रमुख कारण ऋण एवं अग्रिमों से संबंधित ₹36,602 करोड़ की राशि रही। पूँजीगत व्यय वर्ष 2013–14 के ₹13,664 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹26,646 करोड़ हो गया। इस प्रकार इसमें 95.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसकी वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर केवल 6.91 प्रतिशत रही। पूँजीगत प्राप्तियों की तुलना में पूँजीगत व्यय की धीमी वृद्धि दर्शाती है कि प्राप्त पूँजीगत संसाधनों का बड़ा भाग ऋण एवं अन्य वित्तीय दायित्वों से संबंधित रहा। वर्ष 2023–24 में पूँजीगत व्यय अध्ययन अवधि के सर्वोच्च स्तर पर पहुँचा, जो विकासात्मक परिसंपत्तियों एवं आधारभूत संरचना पर बढ़ती प्राथमिकता को प्रदर्शित करता है।

Rajasthan: Capital Receipts and Capital Expenditure (2013-14 to 2023-24)

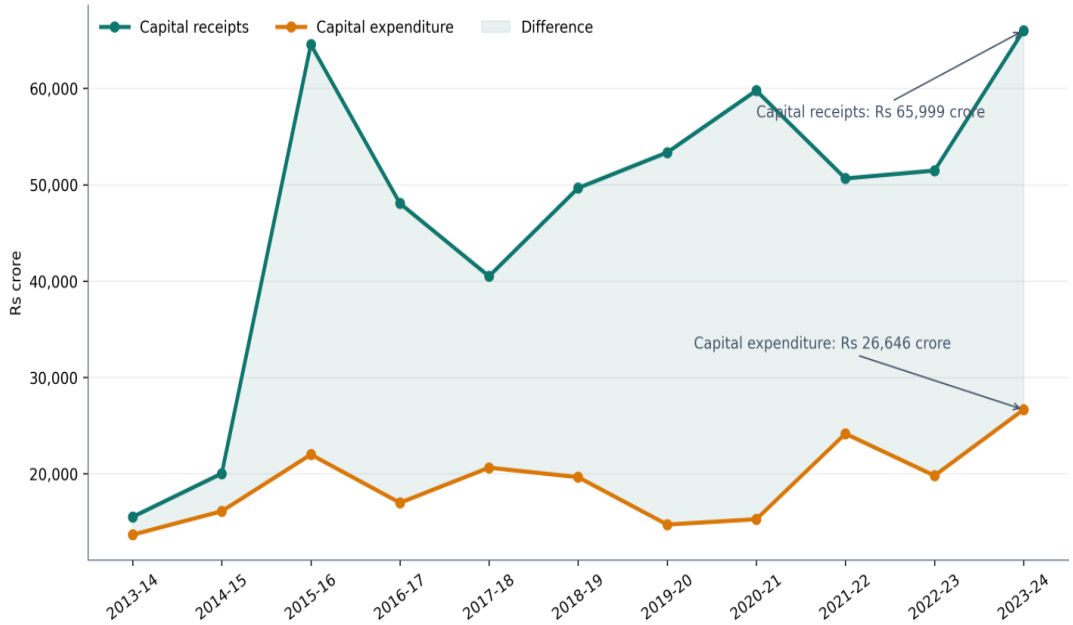

Source: Finance Accounts, Government of Rajasthan; compiled by the researcher.

निष्कर्ष एवं सुझाव

वर्ष 2013–14 से 2023–24 के दौरान राजस्थान की कुल प्राप्तियों एवं व्ययों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, परंतु राजस्व व्यय की वृद्धि राजस्व प्राप्तियों से अधिक रहने के कारण दोनों के बीच अंतर बढ़ा है। पूँजीगत प्राप्तियों में भी वृद्धि हुई, किंतु इनमें उतार–चढ़ाव रहा तथा पूँजीगत व्यय की वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही। अतः राज्य को कर एवं करेत्तर राजस्व के स्रोतों को मजबूत करने, अनुत्पादक राजस्व व्यय को नियंत्रित करने, उधार राशि का विकासात्मक कार्यों में उपयोग करने तथा आधारभूत संरचना से संबंधित पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। साथ ही, प्रभावी बजट नियोजन, नियमित वित्तीय निगरानी, पारदर्शिता और परिणाम–आधारित व्यय व्यवस्था के माध्यम से राज्य की वित्तीय स्थिति को अधिक सुदृढ़ एवं संतुलित बनाया जा सकता है।

References

1. Haan, J.D., & Sturm, J. E. (1997). Political and economic determinants of OECD budget deficits and government expenditures: A reinvestigation. European Journal of Political Economy, 13(4), 739-750. **https://doi.org/10.1016/S0176-2680(97)00033-5**.
2. Posner, P., Ryu, S. K., & Tkachenko, A. (2009). Public-private partnerships: The relevance of budgeting. OECD Journal on Budgeting, 9(1), 49.
3. Yogendrarajah, R. (2011). Financial Control and its Impact on Organizational Performance - An Empirical Study of J/Municipal Council. Competency Building Strategies in Business and Technology (2011) Volume II.
4. Dasgupta, M. (2013). *Government expenditure and economic.* Shodhganga. **http://hdl.handle.net/10603/86724**
5. Rao, M. G. (2017). *State Finances in India*. New Delhi: National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP).
6. Khandelwal, N. M. (2020). *Vittiya Prabandhan (Financial Management)*. Jaipur, India: RBSA Publishers.
7. Darshini, S.J., & Gayithri, K. (2021). Fiscal Federalism: Transfer Dependency and Its Determinants Among Select Indian States. Institute of Social and Economic Change (ISEC), November 2021, WP No. 524.
8. Carli, F., & Modesto, L. (2022). Sovereign debt, fiscal policy, and macroeconomic instability. Journal of Public Economic Theory, 24, 1386–1412. **https://doi.org/10.1111/jpet.12578**.
9. Shamika, R., & Kapoor, M. (2023).State Budgets in India: Observational Time Trend Analysis from 1990 to 2020. Economic Advisory Council to the PM, EAC-PM/WP/20/2023.
10. Celestin, M., & Mishra, A.K. (2025). The Effectivness of Performance-Based Budgeting in Government Agencies: Can It Lead to Greater Fiscal Responsibility. Chaturbhujeshwar Academic Journal, Volume 3, Issue 01, 2025, PP 107-128.

    https://doi.org/10.3126/caj.v3iL86874.

❑❑❑